

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना जहानागंज

दुकान का ताला तोड़कर आग लगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.10.2020 को श्री बृजेश चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान ग्राम सिंही(बड़कापुरा) थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना जहानागंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 30.09.2020 की रात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे किराना स्टेशनरी जनरल स्टोर की दुकान का ताला तोड़ कर आग लगा दिये जिससे दुकान में रखे लगभग साढ़े तीन लाख रूपये का सामान जल कर राख हो गया। इस सूचना पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 213/20 धारा 436/427 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। साक्ष्य संकलन एवं विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त रविन्द्र चौहान उर्फ मारुती चौहान पुत्र हरिलाल चौहान ग्राम सिंही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 05.10.2020 को उ0नि0 विजय नरायन त्रिपाठी मह हमराह का0 संदीप वर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 213/20 धारा 436/427 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रविन्द्र चौहान उर्फ मारुती चौहान पुत्र हरिलाल चौहान ग्राम सिंही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को नाजीरपुर सरया महुआ मोड़ से समय 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 213/20 धारा 436/427 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

रविन्द्र चौहान उर्फ मारुती चौहान पुत्र हरिलाल चौहान ग्राम सिंही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 216/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 13/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 14/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 विजय नरायन त्रिपाठी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 सन्दीप वर्मा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब/असलहा के तस्करी की रोकथाम व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 04.10.2020 को उ०नि० विपिन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्राईमरी स्कूल राजापुर सिकरौर के पास से एक अभियुक्त सुरेन्द्र राम पुत्र सन्तलाल निवासी ग्राम राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय 19.00 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ० सं०-183/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

सुरेन्द्र राम पुत्र सन्तलाल निवासी ग्राम राजापुर सिकरौर थाना सरायमीर आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

मु० अ० सं० 183/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।

बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० विपिन कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ।
2. का० हिमान्शु सिंह थाना सरायमीर आजमगढ।
3. का० अश्वनी यादव थाना सरायमीर आजमगढ।

थाना- जीयनपुर

1 किलो 50 ग्राम गांजा नाजायज के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.10.20 को उ०नि० अमरनाथ यादव मय हमराह के क्षेत्र भ्रमण में थे कि मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम चांदपार पुलिया के पास से अभियुक्त सचिन सोनकर पुत्र मुन्नी लाल सोनकर निवासी समता नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 1 किलो 50 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु० अ० सं० 316/2020 धारा 8/20 NDPS पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 316/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

सचिन सोनकर पुत्र मुन्नी लाल सोनकर निवासी समता नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

बरामदगी-

1 किलो 50 ग्राम गांजा नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 अमरनाथ यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 अजय सिंह थाना जीयनपुर जनपद आमजगढ़
4. हे0का0 रघुपति राम थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.10.2020 को आवेदक श्री आर्दश कुमार सिन्हा पुत्र स्व0 आनन्द नारायण सिन्हा निवासी सिविल लाइन्स आजमगढ़ हाल पता मतदाता पंजीकरण केन्द्र 345 सगड़ी तहसील में कम्प्यूटर आपरेटर के द्वारा दी गयी तहरीर में प्रतिवादी द्वारा वादी को मोबाइल पर प्रमुख जी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह से बात कराना तथा प्रमुख जी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह द्वारा वादी को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल किया गया था। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 312/2020 धारा 353/386/120B/507 IPC पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 05.10.2020 को उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय का0 अभिषेक कुमार यादव थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र भ्रमण थे कि थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 312/2020 धारा 353/386/120B/507 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त शिवकुमार यादव पुत्र देवपती यादव निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मुखिर की सूचना पर ग्राम चांदपार पुलिया से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 312/2020 धारा 353/386/120B/507 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवकुमार यादव पुत्र देवपति यादव निवासी खतीबपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग करीब 41 वर्ष

बरामदगी-

जामा तलाशी के 02 अदद मोबाइल 13,000 रुपये (तेरह हजार रुपये)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अभिषेक यादव थाना जीयनपुर जनपद आमजगढ़